यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय गैरसैण, चमोली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय गैरसैण, चमोली के माह 04.2012 से 10.2017 के लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, तथा श्री राजकुमार लेखापरीक्षक द्वारा श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 04.11.2017 से 09.11.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2). (i). इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः

सूची संलग्न

ii). (अ). वगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्र0 सं0	वत्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)	गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय			आवंटन	व्यय		
1	**2014-15**	**0**	**0**	**52.45**	**42.30**	**-**	**10.15**	**0.91**	**0.37**	**-**	**0.54**
2	**2015-16**	**0**	**0**	**43.35**	**39.62**	**-**	**3.73**	**9.86**	**6.96**	**-**	**2.90**
3	**2016-17**	**0**	**0**	**54.40**	**51.28**	**-**	**3.12**	**25.00**	**22.69**	**-**	**2.31**
4	**2017-18 (10/17)**	**0**	**0**	**60.00**	**28.41**	**-**	**31.59**	**17.60**	**4.21**	**-**	**13.40**

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के वगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनरा श	व्यय धनरा श	अ धक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2014-15	UGC	-	-	-	-	-
2015-16	UGC	NIL	4.40	4.33	(-)0.07	-
2016-17	UGC	-	-	-	-	-
2017-18 (10/2017)	UGC	-	-	-	-	-

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (अनुदान संख्या 11 के अंतर्गत, निदेशक उच्च शक्षा निदेशक, हल्द्वानी) द्वारा कया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मि लत करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). स चव, उच्च शक्षा, उत्तराखंड, देहरादून

b). उच्च शक्षा निदेशालय, हल्द्वानी

c). उच्च शक्षा निदेशक, हल्द्वानी

d). प्राचार्य, रा. महा वध्यालय, गैरसैण, चमोली

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः वर्तमान लेखापरीक्षा 04.2012 से 10.2017 तक की अव ध को आच्छादित करते हुए कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय गैरसैण, चमोली के लेखा-अ भलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय गैरसैण, चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2016, 01.2017, एवं 06.2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **01** :- छात्रों को वापस की जाने वाली प्रति भूति रा श से **₹ 1.56** लाख का अनिय मत आहरण।

कार्यालय राजकीय महा वद्यालय गैरसैंण की लेखापरीक्षा में रखरखाव कये गये कॉशन मनी पंजिक की जाँच की गयी। जाँच में पाया गया क खाता सं0 11816371285 (भारतीय स्टेट बैंक गैरसैंण) जो कॉशन मनी के लेन-देन से संबं धत था, दिनांक 05.11.15 को चैक सं0 212116 द्वारा धनरा श ₹ 156000.00 का आहरण कर हस्तान्तरित कया जाना पाया गया। धनरा श हस्तान्तरित करने के पूर्व नियमतः निदेशक (उच्च शक्षा) से ली गयी अनुमति वषयक अ भलेख लेखापरीक्षा में अनुपलब्ध पाया गया। आगे जाँच में पाया गया क निर्धारित समय के पश्चात् वापस न की गयी रा श अर्थात् बचत रा श तथा छात्रों की लौटायी गयी आव धक ववरण का पंजिका में रखरखाव कया जाना नहीं पाया गया।

इस ओर इंगति कये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया क प्रकाश में आयी धनरा शयां का रखरखाव से सम्बन्धित स्टॉफ से जानकारी प्राप्त कर तथ्यों की वास्त वक स्थिति अनुपालन आख्या में प्रस्तुत की जायेगी।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है, अ भलेखों की उ चत तथा अद्यतन रखरखाव नहीं कये जाने के कारण इकाई, धनरा श जो आहरित की गयी, स्थिति स्पष्ट करने में असफल रही।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **02** :- वभागीय उदासनीता के कारण **₹ 121.79** लाख की लागत वृद् ध का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महा वद्यालय गैरसैंण की वृहद निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच की गयी। जाँच में पाया गया क ₹ 377.82 लाख लागत की निर्माणाधीन भवन के MOU में व र्णत था क ग्राहक वभाग मांग के 30 दिनों के अन्दर नि धयां मुक्त करना सुनिश्चित करेगी स्वीकृत लागत की प्रथम कश्त 2005-06 में निर्माण एजेंसी को जारी कर दी गयी थी तथा वर्ष 2006 से कार्य प्रारंभ पाया गया। परंतु निर्माण कार्य हेतु टुकड़ो-टुकड़ों में ₹ 360.66 लाख निर्माण एजेंसी को वभाग द्वारा जारी करने में तकरीबन 06 वर्ष की अव ध लगा दी गयी। तथा शासनादेश सं0 XXIV(7)/2014-91(2)/08 दिनांक 15 मार्च, 2017 द्वारा उक्त निर्माण कार्य निष्पादन हेतु पुनरी क्षत लागत ₹ 499.61 लाख की स्वीकृति प्रदान पायी गयी।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया क प्रकरण शासकीय निर्णय से संबंधति है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया, जब मूल आगणन की वत्तीय स्वीकृति वर्ष 2006 में प्राप्त थी एवं जिसके तहत अनुबंध में ग्राहक वभाग द्वारा मांग के निर्धारित दिनों के अन्दर नि धयां मुक्त करना सुनिश्चित था तथा निर्माण कार्य सतम्बर 2008 तक पूर्ण कर दिया जाना था, परंतु निर्माण एजेंसी को समय वृद् ध के कारण लागत वृद् ध करने का वभाग द्वारा अवसर प्रदान कया गया।

अतः प्रकरण उच्चा धकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **03 :-** छात्र नि ध खातो मे अर्जित ब्याज क धनरा श रु **1,65,155/-** का अ क्रयाशील पड़े रहना।

छात्रनि धयों के रख रखाव एवं उपयोग के संबंध मे उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार " यदि कन्ही कारणो से कसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की स मति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध स मति के अनुमोदनोपरान्त शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत कसी अ धकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है" तथा छात्र कल्याण नि ध नियमावली 2003 मे यह स्पष्ट उल्लेख है क The collection from students in the Nidhi and interest earned thereon shall be utilized to provide assistance under rule-6 *(objective of nidhi- provide financial assistance to student)* and also to meet establishment and other expenses necessary for administration of Nidhi."

कार्यालय राजकीय महा वद्यालय, गैरसेन, चमोली के छात्रनि धयों संबन्धित अ भलेखो की जांच की गयी, जांच के उपरान्त पाया गया क उक्त अव ध के दौरान वद्यालय द्वारा व भन्न प्रकार की छात्रनि धयों का संचालन कया गया तथा सभी छात्रनि धयों हेतु पृथक रूप से बैंक खाते खोले गए है। महा वद्यालय द्वारा सभी प्रकार क छात्रनि धयों हेतु कुल 11 बैंक खाते खोले गए है, संबन्धित खातो क जांच के उपरान्त पाया गया वद्यालय द्वारा संचा लत बैंक खातो मे साल दर साल ब्याज क धनरा श अर्जित हो रही है । महा वद्यालय को कुल रु 1,65,155/- क धनरा श ब्याज के रूप मे अर्जित हुई है जिसे कार्यालय द्वारा छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय नही कया गया है और न ही उक्त धनरा श को शासन को सम र्पत कए जाने हेतु कोई प्रयास कया गया है अतः उक्त धनरा श कार्यालय द्वारा संचा लत कुल 11 बैंक खातो मे अ क्रयाशील अवस्था मे पड़ी हुई है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है ब्याज छात्रों को नही लौटाई जाती है, ब्याज की रा श छात्रों पर व्यय करने के मामलो मे निर्णय उच्चा धकारियों से सुझाव के पश्चात कया जाएगा तथा इस संबंध मे भ वष्य मे ब्याज का संचालन कस तरह से करना है, उच्चा धकारियों से दिशानिर्देश प्राप्त कर आख्या मे सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्यो क छात्र नि धयो की धनरा श(ब्याज सहित) का उपयोग छात्र कल्याणकारी कार्यो हेतु कया जाना अनिवार्य था जिसे वभागीय उदा सनता के कारण, न केवल छात्र नि धयो का उपयोग छात्रों के कल्याणकारी कार्यो हेतु नही कया जा सका बल्कि रु 1,65,155/- की अर्जित ब्याज की धनरा श वगत कई वर्षो से अ क्रयाशील अवस्था मे पड़ी हुई है।

अतः छात्र नि ध खातो मे अर्जित ब्याज की धनरा श रु **1,65,155/-** का अ क्रयाशील होने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **04 :-** यू॰जी॰सी॰ के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए धनरा श रु **4.33** लाख का अनिय मत व्यय एवं धनरा श रु **41,007/-** का समर्पण नही कया जाना।

वश्व वद्यालय अनुदान आयोग (यू॰ जी॰ सी॰) के बारहवी योजना(XII) वर्ष 2012-2017 अव ध के दौरान महा वद्यालयो को वकास हेतु अनुदान प्रदान की जाती है। इस संबंध मे राजकीय महा वद्यालय गैरसेन को यू जी सी के XIIth योजना के अंतर्गत सामान्य वकास सहायता (General Financial Assistance) अनुदान निम्न शर्तो के तहत प्रदान की गयी थी जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत है:

1). सामान्य वकास सहायता के अधीन दिया जाने वाला अनुदान ब्लाक अनुदान के रूप मे दिया जाएगा, जिसमे इस बात की नम्यता होगी क महा वद्यालय आवश्यकतानुसार उसे खर्च कर सके। सामान्य सहायता अनुदान (31) और पूंजीगत परिसंप त्तयों (35) के अधीन आवंटन की प्रतिशतता 20:80 के अनुपात के आधार पर होगी।

2). महा वद्यालय अपनी आवश्यकता का अ भनिर्धारण करने और अपनी प्राथ मकताओ को निश्चित करने के बाद स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर शक्षा के वकास के लए प्रस्ताव का अनुमोदन करने हेतु एक योजना बोर्ड का गठन कर सकता है। इसके अलावा प्रधानाचार्य, समन्वयक आइकयूसी और वरिष्ठ अध्यापक, पुस्तकलायाध्यक्ष बर्सर या लेख वभाग का वरिष्ठ अ धकारी इस योजना बोर्ड के सदस्य हो सकते है।

3). अनुसू चत जाति, अनुसू चत जनजाति, अन्य पछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक समुदायो और वकलांगो तथा संबन्धित राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत परिभाषा के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से आने वाले आ र्थक दृष्टि से कमजोर वद्या र्धयों की आवश्यकताओ को पूरा करने के लए महा वद्यालय को सहायता देना।

4). अनुदान दो उदेश्य शीर्षो, सामान्य सहायता अनुदान "31"(सामान्य सहायता वकास का 20 प्रतिशत) और पूंजीगत परिसंप त्तयों "35" (सामान्य सहायता वकास का 80 प्रतिशत) के अधीन योजना ब्लाक अनुदान (पीबीजी) के रूप मे जारी कए जाएंगा। पूंजीगत परिसंपतियों शीर्ष मे पुस्तकों और पत्रिकायो, उपस्करो, साफ्टवेयरों, भवन निर्माण/ मरमत/ वस्तार पर कया जाने वाला व्यय भी शा मल है, अन्य सभी मद सामान्य सहायता अनुदान (31) शीर्ष के अधीन आएंगी।

5). पुस्तक और पत्रिकाए, उपस्कर आदि मदों के अधीन 15 प्रतिशत तक की रकम का उपयोग उनके भंडारण/ रखने के प्रयोजन के लय कया जाएगा।

6). वश्व वध्यालय अनुदान आयोग की नि ध से खरीदे गए उपस्करो/ पुस्तकों की सूची प्रत्येक वर्ष के अंत मे राज्य सरकार को प्रस्तुत करे और उसकी एक प्रति वत्त वर्ष के अंत मे वश्व वद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेंजे।

महा वद्यालय के यूजीसी संबन्धित अ भलेखो की जांच के उपरान्त पाया गया क वत्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पत्र संख्या F.1-6/2012 (policy/NRCB), दिनांक 30.06.2015 द्वारा सामान्य वकास सहायता अनुदान के तहत धनरा श रु 4,40,000/- आवंटित हुई थी। उक्त धनरा श RTGS के माध्यम से महा वद्यालय को दिनांक 24.07.15 को प्राप्त हुई जो की संबन्धित वत्तीय वर्ष 2015-16 मे व्यय कया जाना निर्धारित था। यू॰जी॰सी॰ द्वारा स्वीकृत धनरा श के सापेक्ष धनरा श रु 4,33,336/- का व्यय महा वद्यालय द्वारा कया गया तथा शेष धनरा श रु 6664/- जो की वर्ष के अंत मे सम र्पत की जानी थी वर्तमान तक सम र्पत नही की गयी थी। आगे अ भलेखो क जांच मे दिशानिर्देशों के वरुद्द व्यय कए जाने के संबंध मे निम्नवत प्रमुख वसंगतिया प्रकाश मे आयी।

1). शासनादेश के अनुसार आवंटित अनुदान वतरण 20:80 (सामान्य सहायता अनुदान: पूंजीगत परिसंपतियों) के तहत कया जाना गया था जिसे इसी अनुपात मे व्यय कया जाना था परंतु महा वद्यालय द्वारा समस्त धनरा श का व्यय उद्देश्य शीर्ष पूंजीगत परिसंप त्त (35) के तहत उपकरणो/उपस्कर तथा पुस्तकों के क्रय हेतु कया गया। आगे यह पाया गया क महा वद्यालय द्वारा Pragati Scientific Traders को उपकरणो एवं के मकल्स हेतु धनरा श 1,33,046/- का भुगतान कया गया तथा धनरा श रु 2,87,595/- की पुस्तकों का क्रय मै॰ आर॰ के॰ बुक्स से कया गया।

2). महा वद्यालय द्वारा क्रय क गयी उपस्कर/उपकरणो मे एक उपकरण वैक्युम क्लीनर जिसकी लागत रु 6990/- थी, महा वद्यालय द्वारा खरीदा गया जो की क्रय कए जाने हेतु यूजीसी के दिशानिर्देशों/शर्तो के अधीन अनुमन्य नही था।

3). उदेश्य शीर्ष पूंजीगत परिसंपतियों (35) के संबंध मे स्पष्ट उल्लेख है की पुस्तक और पत्रिकाए, उपस्कर आदि मदों के अधीन 15 प्रतिशत तक की रकम का उपयोग उनके भंडारण/ रखने के प्रयोजन के लय कया जाएगा। जब क लेखापरीक्षा मे महा वद्यालय द्वारा ऐसा नही कया गया।

4). दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत धनरा श के सापेक्ष क्रय क गयी साम ग्रयों जैसे पुस्तक, उपस्कर आदि क एक सूची तैयार कर राज्य सरकार/ यू॰जी॰सी॰ को भेजा जाना अनुमन्य था परंतु उक्त नियम का अनुपालन नही कया गया।

5). यूजीसी द्वारा प्रदान की गयी धनरा श मे उदेश्य शीर्ष सामान्य सहायता अनुदान (31) के अंतर्गत 20 प्रतिशत धनरा श का व्यय प्र शक्षण कार्यक्रमों, AMC, सांस्कृतिक क्रयाकलापो, कार्यशालयों, व्याख्यानों और संगोष्ठी का आयोजन समय समय पर कराया जाने क बाध्यता थी परंतु महा वद्यालय द्वारा ऐसा नही कया गया।

6). पत्र संख्या F.1-6/2012 (policy/NRCB), दिनांक 30.06.2015 से बिन्दु संख्या 19 के अनुसार अप्रयुक्त धनरा श एवं ब्याज क धनरा श को यू जी सी को सम र्पत कया जाना चाहिय था परंतु लेखापरीक्षा ति थ तक वत्तीय वर्ष 2015-16 क अप्रयुक्त धनरा श रु 6664/- एवं अर्जित ब्याज रु 34,413/- को यू जी सी को सम र्पत नही कया गया था अतः कुल धनरा श रु 41,007/- वर्तमान मे अवरुद्द पायी गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है क बिन्दु संख्या 01 एवं 05 के अनुसार भ वष्य मे सुनिश्चित क जाएगी यू जी सी के तहत प्राप्त धनरा श का व्यय प्रयोजन के अंतर्गत ही हो, बिन्दु संख्या 02, 03,एवं 04 हेतु भ वष्य मे त्रुटि क पुनरावृति नही क जाएगी तथा बिन्दु संख्या 06 हेतु शीघ्र ही समर्पण क प्र क्रया पूरी क जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्यो क महा वद्यालय द्वारा धनरा श रु 4,33,336/- का व्यय यू॰जी॰ सी॰ के दिशानिदेशों क उपेक्षा करते हुए कया गया है, अर्थात धनरा श रु 4,33,334/- का अनिय मत व्यय कया गया। तथा धनरा श रु 41,007/- वर्तमान तक सम र्पत नही कया गया है।

अतः यू॰जी॰सी॰ के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए धनरा श रु **4.33** लाख का अनिय मत व्यय एवं धनरा श रु **41,007/-** का समर्पण नही कया जाना का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **01 :-** कार्यालय द्वारा धनरा श रु **7.37** लाख की वभागीय प्राप्तियों की प्र वष्ठी रोकड़ बही मे नही कए जाना।

वत्तीय हस्तपुस्तिका (Volume- v, Part-1) के नियम– 26 अनुसार स्पष्ट व र्णत है क "Government servants receiving money on behalf of the Government must give the payer a receipt in Form no. I. The amount should be entered in the receipt both in words and figures and it should bear the full signature of the Government servant receiving the payment and not mearly his initials. The officer should satisfy himself at the time of signing the receipt that the amount has been entered in the cash-book एवं नियम– 27A अनुसार स्पष्ट व र्णत है क "A simple cash-book in form no. 2 should be kept in every office for recording in separate columns all moneys received by government servants in their official capacity, and their subsequent remittance to the Treasury or to the Bank, as well as moneys withdrawn from the Treasury or the Bank either by bills or by cheques, and their subsequent disbursements."

कार्यालय की लेखापरीक्षा अव ध 04.2012 से 10.2017 की "माहवार प्राप्तियों' से संबन्धित लेखा-अ भलेखों में पाया गया क लेखापरीक्षा अव ध के दौरान चयनित माहों की प्राप्तियों की जांच मे रु 4,18,688/- की धनरा श को शा मल करते हुये उक्त अव ध मे कुल रु 7,37,102/- की धनरा श वभागीय प्राप्तिया के रूप मे प्राप्त हुई थी। इकाई को उक्त अव ध मे R.T.I, T.C. शुल्क, आदि हेतु कुल रु 7,37,102/- क धनरा श वभागीय प्राप्तिया के रूप मे प्राप्त हुई थी, आगे जांच मे पाया गया क प्राप्तियों हेतु कार्यालय द्वारा कोई संबन्धित रेकॉर्ड/ रजिस्टर नही बनाए गए है और न ही इकाई द्वारा रोकड़ बही मे इनकी प्र वष्टि प्राप्तियों (receipts side) मे की जा रही है, जिस कारण लेखापरीक्षा अव ध के दौरान कार्यालय की वभागीय प्राप्तिया (departmental receipt) का आकलन नही कया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है क भ वष्य मे लेखा नियमो के तहत प्राप्तियों की रोकड़ बही मे प्र वष्टि की जाएगी तथा वभागीय प्राप्तियों के रखरखाव संबन्धित आप त्त हेतु कोई पंजिका का रखरखाव नही हो रहा है। भ वष्य मे रखरखाव कया जाएगा ।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्यो क कार्यालय द्वारा वभागीय प्राप्तियों संबन्धित प्रारम्भिक रेकॉर्ड नही बनाए जा रहे है और न ही इनकी प्राप्तियों को रोकड़ बही मे दर्शाया गया है जो क वत्तीय नियमो का उल्लंघन कया जाना दर्शाता है

अतः कार्यालय द्वारा धनरा श रु **7.37** लाख की वभागीय प्राप्तियों की प्र वष्ठी रोकड़ बही मे नही कए जाना का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **02 :-** महा वद्यालय में व भन्न पंजिकाओं/रजिस्टर का रखरखाव न कया जाना।

स चव, उत्तराखण्ड शासन के दिनांक 06/12/2013 के पत्र सं0 3276/XXIV(7)/2013-42(1)/10 के बिन्दु सं0 10 के अनुसार समस्त शासकीय/अशासकीय महा वद्यालयों के प्राधानाचार्यो की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी क अवकाश पंजिका, स्टॉक पंजिका, कंटिजैंसी पंजिका, इत्यादि के साथ-साथ गेम फण्ड/परिचय पत्र फण्ड इत्यादि को सुव्यवस्थित रूप में रखा जाय ता क औचक निरीक्षण के समय इनका अवलोकन कया जा सके।

उक्त नियम के अनुसार कार्यालय राजकीय महा वद्यालय गैरसैंण को व भन्न पंजिकाओं में पायी गयी व भन्न वसंगतियां निम्न प्रकार हैं।

क्र0सं0	पंजिका का नाम	पायी गयी अनिय मतता
1	स्टॉक पंजिका	कट्रोल पंजिका का रखरखाव लेखपरीक्षा के अनुरूप नहीं पाया गया।
2	छात्रनि ध पंजिका	आहरित धरा श लेजर में दर्शायी गयी है परन्तु उसका प्रयोजन स्पष्ट नही कया गया है।
3	यात्रा पंजिका	वर्ष 2013 के बाद अद्यतन नही कया गया है।
4	कंटिजैंन्सी पंजिका	प्रभा वकरण पृष्ठ चस्पा नही पाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगति कये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया क भ वष्य में अनुपालन कया जायेगा तथा पुनरावृ त्त से बचने का प्रयास कया जायेगा।

उत्तर मान्य नही है क्यों क उपरोक्त शासनादेश के अनुसार प्राचार्य की जिम्मेदारी थी क सम्भा वत पंजिकाओं का रखरखाव ठीक ढंग से कया जाये।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**	**TAN**
शून्य				

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्राचार्य**,** राजकीय महा वद्यालय गैरसैण**,** चमोली तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

अप्रस्तुत अ भलेखः 2001 से 03/2012 के अ भलेख

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

नाम	पदनाम	अव ध
डा0 आनन्द कुमार श्रीवास्तव	प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय गैरसैण, चमोली	21.11.2011 से 15.07.2014
डा0 शव नारायण सद्ध (कार्यवाहक)	प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय गैरसैण, चमोली	16.07.2014 से 19.09.2017
डा0 माम चन्द्र(कार्यवाहक)	प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय गैरसैण, चमोली	20.09.2017 से 30.09.2017
डा0 अब्दुल रशीद अंसारी	प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय गैरसैण, चमोली	27.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय प्राचार्य**,** राजकीय महा वद्यालय गैरसैण**,** चमोली को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.